

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी—श्री दिनेश विश्‍नोई R.A.S.

प्रकरण संख्या :-111/2019

वादीगण

प्रकाश पुत्र राणा
जाति पुरोहित निवासी मघाणी मेगवालों की ढाणी रतनपुरा तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राणा पुत्र खेताराम
2. दलाराम पुत्र राणा
जाति पुरोहित निवासी मघाणी मेगवालों की ढाणी रतनपुरा तहसील
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6
वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-

1. श्री रामजीवन विश्‍नोई अधिवक्ता वादीगण

--: निर्णय :-

दिनांक :- 13/9/19

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 स.प. धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा मघाणी मेगवालों की ढाणी पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 56-00 बीघा वक्त सैटलमेंट से आया हुआ है। भू प्रबन्ध संवत् 2012 में वादी के दादा पूर्व पुरुष स्वर्गीय खेताराम के नाम पर्चा लगान जारी होकर खातेदारी रेकॉर्ड संधारित हुआ। वादी के दादा खेताराम का देहान्त हुआ तब उक्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 राणा के नाम विरासत में फौतगी का नामान्तरण खोला गया। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा-काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का खाते में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

खेतों में वादी अपने हिस्सानुसार कब्जे काशत में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादी को काशत करते समय रोकटोक करता है। तथा वादी के हिस्से की भूमि को बेवान कर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है। जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादपत्र दिनांक 26.08.2019 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिसे सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी संख्या स्वयं 01 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं करते हुए निवेदन किया कि वादी के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 02 को भी उक्त आराजी में बराबरा हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी की साक्ष्य में वादीगण संख्या 01 प्रकाश स्वयं द्वारा न्यायालय में उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करावये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी एवं पैतृक होने सम्बन्धी प्रथम जमाबन्दी नकलें प्रस्तुत की गईं। हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र का बाबजूद नोटिस तामील किसी प्रकार से प्रतिरोध नहीं किया है। एवं प्रतिवादी 01 राणा स्वयं ने न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित कथन करते हुए वादी के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 02 को भी सह खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 02 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (गुण-6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है 'कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जीत का विभाजन करा सकते हैं। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री



राज्यक कलक्टर
(S.D.O.) जुझामलानी

सहकृषक होते हैं चाहे राजस्व रेकॉर्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते हैं। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।”

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि पैतृक है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा मघाणी मेघवालों की ढाणी पटवार हल्का रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 295 रकबा 56-00 बीघा की भूमि में वादी प्रकाश व प्रतिवादी संख्या 2 दलाराम को प्रतिवादी संख्या 1 राणा के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक...13/9/19...को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश विश्नीई)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी